बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चकाई, जमुई के द्वारा सेविकाओं के चयन में भारी अनियमितता बरती गयी है। ग्राम पंचायत सरौन, वार्ड सं.-6 में अति पिछड़ा वर्गकी संख्या अधिक है, परन्तु उसे दरकिनार कर उन्होंने पिछड़े वर्ग की महिलाओं का चयन किया। इसके विरुद्ध शिकायत करने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जमुई ने इसकी जांच की और शिकायत को सही पाया। इसके उपरांत जब जिलाधिकारी के यहां इसकी जांच की मांग की गयी तो जिलाधिकारी ने उप समाहर्ता, प्रभारी विधि शाखा को इसकी जांच का आदेश दिया परंतु उप समाहर्ता ने सारे नियम और कानूनों को दरकिनार करते हुए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से मिलीभगत कर पुन: अति पिछड़ा बहुल वार्ड में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के चयन को सही करार दिया। आंगनबाड़ी केन्द्र सरौन, बाजार केन्द्र संख्या- 215, वार्ड सं.-6 में जमकर अनियमितता की गयी है। इसी प्रकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने चकाई में हर क्षेत्र में अपने पद और प्रभाव का जमकर दुरुपयोग किया है।

अत: उक्त दोनों पदाधिकारियों द्वारा की गयी अनियमितता की जांच कर कड़ी कार्रवाई के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजय प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 30/2017 - 238 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ समाज कल्याण विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 01.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 10.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बेगूसराय जिलान्तर्गत बूढी गंडक नदी एवं काबर झील के मध्य जय मंगलागढ़ में मां जयमंगला की अति प्राचीन मंदिर अवस्थित है। 'मां जयमंगला' की परिकल्पना देवी भागवत और महात्म संबंधी अन्य वैदिक-धार्मिक ग्रंथों में भी है। जय मंगलागढ़ में मिली मुर्तियां, कृष्णामार्जित मृदभांड, मनके, मिट्टी की मूर्ति आदि इसे ईसा पूर्व की विकसित जगह का संकेद देते हैं। क्षेत्र में प्राचीन ईंट की श्रृंखलाएं, उत्तर की तरफ़ जमीन में धंसी हुई ईंट की दीवारें अभी भी परिलक्षित हो रही हैं। इस स्थल पर खाई खोदने तथा जोतने के क्रम में कई बार पुरातात्विक सामग्रियां मिलती रही हैं। वर्त्तमान जयमंगला मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा पूजा-अर्चना की जाती है परन्तु मंगलवार और शनिवार को श्रद्धालुओं का मेला लगता है। इस स्थान की मान्यता शक्तिपीठ एवं सिद्धपीठ के रूप में है। कला, संस्कृति, धर्म और पुरातत्व की दृष्टि से इसे तीर्थाटन और पर्यटन स्थल के रूप में मंदिर सहित सम्पूर्ण परिसर को विकसित करने की आवश्यकता है।

अत: मैं सरकार से इस संबंध में सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रजनीश कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 31/2017 - 254 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 13.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ पर्यटन विभाग, बिहार/ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 01.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 13.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली जिलान्तर्गत महुआ प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हुसैनीपुर उत्तरी की प्रखंड शिक्षिका श्रीमती गणिता देवी के वेतन भुगतान के संबंध में विधान परिषद् के 184 वें सत्र में मेरे द्वारा पूछा गया प्रश्चन सं.- ई-10 के उत्तर में सरकार द्वारा यह कहा गया कि कार्यपालक पदाधिकारी-सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी, महुआ के ज्ञापांक-2 कैम्प, दिनांक- 18.02.2014 के द्वारा श्रीमती गणिता देवी, शिक्षिका की सेवा समाप्त कर दी गयी है किन्तु अभी वर्तमान में श्रीमती गणिता देवी शिक्षिका को माह जुलाई 2015 से अक्टूब 2016 तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है इससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अत; इस संबंध में उच्च स्तरीय जांच कराते हुए सदन को गलत सूचना देने के दोषियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सुबोध कुमार,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 32/2017 - 261 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 14.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य बिभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 01.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 14.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत केन्द्र सरकार की कृषि यांत्रिकरण योजना बिहार में धरातल पर उतर नहीं रही है, जिससे देश के गरीब किसानों को वर्तमान कृषि में उपयोग होने वाले अत्याधुनिक यंत्रों से वंचित होना पड़ रहा है। जबकि केन्द्र कृषि यंत्र बैंक स्थापित करने के लिए 2016-17 में बिहार सरकार को 14 करोड़ का बजट दे चुकी है। इस राशि से जिला में 138 बड़े एवं ग्राम स्तर पर 229 कृषि यंत्र बैंकों की स्थापना करनी थी। केन्द्र के 60 और राज्य के 40 प्रतिशत के अनुपात में मिली राशि से बैंक की स्थापना की जानी थी। लेकिन अभी तक बिहार में कृषि यंत्र बैंक खोला नहीं जा सका है। जो किसान मंहगे यंत्रों को खरीदने में सक्षम नहीं है उनकी खेतीबारी को नया आयाम दिया जा सके इसके लिए यह योजना स्थापित करनी थी। इस योजना से गरीब किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराई जाती है साथ ही अनुदानित दर पर किसान कृषि यंत्र भी खरीद सकते हैं। उन्नत मशीनों से छोटे किसान भी अपनी उपज बढ़ा सकते थे। परन्तु इन बैंकों की स्थापना नहीं होने के कारण किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से वंचित होना पड़ रहा है जो राज्य के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं।

अत: कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत कृषि यंत्र बैंकों को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित कराने एवं किसानों को कृषि संबंधित आधुनिक यंत्र मुहैया कराने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- रामचन्द्र भारती,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 33/2017 - 239 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ कृषि विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 01.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 10.02.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

1993 में स्थापित अनुज्योति बालिका विद्यालय, कुम्हरार, पटना, बिहार-झारखंड का एकमात्र दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय है, जहां दृष्टिहीन बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यालय जन सहयोग से संचालित हो रहा है, इस विद्यालय को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबंधन नहीं है, जिसके कारण इस विद्यालय की बालिकाओं के दसवीं की परीक्षा अन्य विद्यालय से देना पड़ता है। वर्ष 2008 तक स्कूल को सरकार से अनुदान मिला था, परन्तु फिर बंद हो गया। सम्प्रति इस विद्यालय में 110 बालिकाएं पढ़ रही हैं तथा छात्रावास में रह रही हैं। विद्यालय को राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं है।

अत: मैं इस विद्यालय को मान्यता प्रदान करने तथा स्थायी संबंधन प्रदान करने एवं अनुदान दिए जाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सूरजनंदन प्रसाद,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 34/2017 - 240 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 10.02.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 01.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 10.02.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

माननीय सभापति महोदय,